243/XV - 07-08-2020

1

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

आदेश

जिलाधिकारी, गाजीपुर के **पत्रांक संख्या 5142/आ0लि0-1/2020** दिनांकित **06-08-2020** के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उपजिलाधिकारी सैदपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार वाहय न्यायालय परिसर सैदपुर कंटेनमेंट जोन की परिधि से वाहर है। जिलाधिकारी, गाजीपुर ने अपनी आख्या के साथ उपजिलाधिकारी सैदपुर की आख्या दिनांकित 06-08-2020 की प्रति भी संलग्न किया है।

तदनुसार जिलाधिकारी गाजीपूर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार वाहय स्थित न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर अब कंटेनमेंट जोन में नहीं है। चूँकि जिलाधिकारी गाजीपुर की उक्त आख्या आज दिनांक 07-08-2020 को न्यायालय खुलने के पश्चात अपरॉह में प्राप्त हुआ है। अतएव ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाबाद द्वारा पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June, 2020 के माध्यम से जारी गाईडलाइन के आलोक में वाहयस्थित न्यायालय सैदपुर गाजीपुर दिनांक 10-08-2020 से नियमित कार्य हेतु खुलेंगे क्योंकि दिनांक 08-08-2020 व 09-08-2020 कमशः द्वितीय शनिवार एवं रविवार अवकाश दिवस हैं।

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के कम में जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर से यह अपेक्षित किया जाता है कि प्रतिदिन वाहयस्थित न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर को सेनेटाईज कराना व न्यायालय परिसर में आने वाले व्यक्तियो की थर्मल स्केनिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्टेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसियेशन के अध्यक्ष/महासचिव को अविलम्ब भेजी जाए।

साथ ही उक्त आदेश से सभी सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारीगण को भी अवगत कराया जाए।

साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की वे इसे जनपद न्यायालय के वेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें। उक्त के बाबत सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भी प्रेषित हो।

7/8/20

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

दिनांक : अगस्त 07, 2020

Scanned with CamScanner